न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 250 / 2024
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2024 / 300

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्योलय, नागौर		1. श्री ताराचन्द पुत्र पुखराज जाति माली निवासी ताउसर तहसील व जिला नागौर प्रो. मैसर्स बाबा रामदेव होटल व ए.सी. रेस्टोरेन्ट नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।
2. अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आदेश।

::निर्णय:: **दिनांकः** –21/01/2025

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा प्रकरण मे जब्तसुदा 2 गैस सिलेण्डर मय गैस को को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद स्वयं की तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

2. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) की बहस सुनी गई।बहस में कथन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी /2024 दिनांक 07.10.2024 की पालना में श्रीमान जिला रसद अधिकारी, नागौर के आदेशानुसार दिनांक 06.12.2024 को श्री रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक, श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जोधपुर रोड नागौर स्थित मैसर्स बाबा रामदेव होटल एण्ड ए.सी. रेस्टोरेन्ट पहुंचकर घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग की आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर होटल प्रबन्धक श्री ताराचन्द पुत्र पुखराज निवासी ताउसर उपस्थित मिले। मौके पर होटल का निरीक्षण करने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग करना पाया गया। श्री ताराचन्द से घरेलू गैस के भण्डारण, विक्रय सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना अपने कथानों मे स्वीकार किया।श्री ताराचन्द द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित किये गये 2 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1	एचपीसीएल	610414-P	0
2	एचपीसीएल	150363-T	4 किग्रा

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

उपरोक्त 2 गैस सिलेण्डरों को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स गरीब नवाज एचपी गैस सर्विस, बासनी के प्रतिनिधि श्री रविन्द्रसिंह की सुपुर्दगी मे दिये गये है। इस प्रकार श्री ताराचन्द का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम ए 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण मे जब्तसुदा 2 गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियमए 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान किये जावें।

3. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उनके द्वारा यह जब्त सुदा सामग्री उनकी होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज कार्यालय में पेश नहीं किये हैं एवं न ही प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर एतराज फाईल किया गया हैं,जिससे प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य सही होना प्रतीत होता हैं।

4. अतः उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। प्रकरण में जब्त सुदा 02 घरेलू गैस सलेण्डर मय गैस को समपहरण (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त जब्त सुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण करने का जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिये जाते हैं। रसद अधिकारी नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

5. निर्णय आज दिनांक 21.01.025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर
नागौर